International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 7.065
Vol.8 No.2 Nov – Dec 2020

शिक्षा के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण

डॉ. बन्दना श्रिवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, रामेश्वर सिंह ट्रीचर्स कॉलेज

(पांडेय परसावां गया बिहार) (मगध विश्वविद्यालय बोधा गया)

स्त्री शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप् से जोड़ने वाली अवघारणा है इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पूरूषों की ही तरह शामिल करने से सम्बन्धित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिये बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धती को सन्दर्भित करता है।

यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में सावित्री बाई फूले- जो इतिहास में ऐसी नारी बोध है सावित्रीबाई फूले के सहयोग से पूणे में बालिकाओं के लिये पहला बालिका विद्यालय खोला गया। जनवरी 1848 में लड़कियों की शिक्षा उस समय एक प्रकार की सामाजिक पाबदी थी।

हम जानते है की किसी देश के विकास के लिये महिला शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़कियों और महिलाओं आवश्यक है ताकि वे शिक्षित हो सकें। लड़कियों और महिलाओं में अपने देश के आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य

जनगणना आँकड़े यह भी बताते है की देश की महिला साक्षरता दर(64. 46 प्रतिशत) देश की कूल साक्षता दर (74. 04 प्रतिशत) से भी कम है। बढ़त कम लड़कियो का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से कई बिच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इस प्रकार 2011 की जनगणन के परिणाम बताते है की देश में साक्षरता दर पूरूषों के लिये 74. 04 फीसदी 82.14 और महिलाओं के लिये 65.46 है।

इसके बावजुद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिती को संतोषप्रद स्वीकार नही किया जा सकता है। वर्तमान में नारी शिक्षा के मार्ग में काफी समस्थाएँ हैं। सभी पक्षों और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानतोय पायी जाती है। लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर लड़को की अपेक्षा कम मिल पाते है। सन 1947 में स्वाधीजता प्राप्त करने के उपरात महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिती में उनके क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञायता परतनतवा रूढ़िवादिता तथा असहायता के बंधनों से मूक्त होकर भारतीय स्त्रियाँ आज एक सम्मान जनकजीवन जी रहीं है। स्त्रियों से संबंधित सामाजिक मान्यताएँ बदल रही है। भारतीय संविधान में पूरूषों तथा स्त्रियों को पूर्ण स्वरूप सम्मान दर्जा देते हुये भी शिक्षा के प्रसार पर बन दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

परन्तु सत्य यही है की बहुत सी समस्याओ की पूरूषों से नहीं कह सकने के कारण महिलायें कठिनाई का सामना करती रहती हैं। अगर कठिनाई का शिक्षत हो तो वे अपने धरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। स्त्री शिक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय विकास में मदद करता है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्याण में मदद करती है।

अतः इस प्रकार नारी आज शिक्षा के कारण हर क्षेत्र में आगे बढ़ती नजर आ रही है पर उसमें अभी और सुधार करना बाकी है। आचार्य चाणक्य ने नारी शिक्षा के महत्व को बताते हुये कहा है मानव समाज की रचना ही इस प्रकार हुयी है कि नर और नारी की महत्व समान है। दोनो में से एक के बिना समाज के अस्तित्व की कल्पना ही नही कि जा सकती है।

चूँकि स्त्रियाँ ही सतति की परम्परा में मुख्य भुमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधूनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रही है । उन्हें कम-से-कम सुविधाओं अधिकारों और उन्नति के अवासरों में रखा जाता रहा है इसी कारण महिलाओं की परीस्तिति नियम स्तर पर ही है।

नारी के लिये शिक्षा का महत्व:

नारी के लिये शिक्षा का अत्यन्त ही महत्व है। क्योकि अगर महिलायें शिक्षित हो तो वे अपने धरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय विकास में मदद करता है। आर्थिक विकास और एक शब्द के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है। इस प्रकार महिला शिक्षा एक अच्छे समान के निर्माण में मदद करती है।

महिला शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सह सम्बन्ध है।

इस प्रकार नारी के लिये शिक्षा का निम्नलिखीत महत्व हैः

1. शिक्षित महिला अपने भविष्य को सही आकार देने में अधीक सक्षम है।
2. शिक्षा महिलाओं के जीवन के मार्ग को चूनने का अधिकार देने का पहला कदम है जिससे वह आगे बढ़ती है।
3. शिक्षा महिलाओं को जीवन के मार्ग को जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है।
4. एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकती है।
5. हम देश की महिलाओं को शिक्षित किये बिना एक विकसीत शब्द नहीं बना सकते।
6. एक शिक्षित महिला में कौशल,सुचना, प्रतिभा और आत्म विश्वास होता है जो उसे एक बेतहर माँ कर्मचारी और देश का निवासी बनाती है।
7. सर्वेक्षण के अनुसार केवल 60 प्रतिशत नारियों को प्रायमिक शिक्षा प्राप्त होती है और उच्च माध्यमिक शिक्षा के मामले में यह 6 प्रतिशत तक कम हो जाती है।
8. महिला के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भुमिका निभाती है।
9. अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उदेश्यों को प्रदान करती है।
10. शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसीत करने का कार्य करती है।

11. आधूनिक तकनीकी संसार में शिक्षा नारी के लिये भी मुख्य भुमिका को निभाती है।

नारी शिक्षा की आवश्यकता:

1. स्त्री शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा जिससे समाज के व्यवहार में सस्सता आयेगी।
2. एक शिक्षित नारी गृहस्य-जीवन में शांति और खुशहाली का स्त्रोत होती है।
3. नारी शिक्षा हमारे संस्कृति के उर्जा और विकास का संचार है।
4. मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलायें पूरूषों का सम्पूर्ण योगदान दे रही है।
5. नारी शिक्षा से नारी का नारीत्व निखर जाता है।
6. स्त्री शिक्षा नारियों को गौखांवित अस्तित्व को समझाता है।
7. शिक्षित स्त्री ही परिवार का उप्यान करने में सफल हो सकती है।
8. शिक्षा नारियों में पारिवारिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध करती है।
9. शिक्षा स्त्री के शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिये भी आवश्यक है।
10. व्यक्तित्व के विकास में भी नारी के लिये शिक्षा महत्वपूर्ण है।
11. शिक्षा परिवार के लिये भी विशेष उपयोगी है।

नारी के लिये शिक्षा की समस्याएँ:

1. शिक्षा के क्षेत्र में नारी के लिये समुचित विकास न होने का प्रमुख कारण दोषपूर्ण प्रशासन है।
2. शैक्षिक अवसरों की समानता भी इनकी एक प्रमुख समस्या है।
3. दोषपूर्ण पाठयक्रम का पाया जाना भी इसमें समस्या उत्पन्न करता है।
4. शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रसार के लिये एक बहुत बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी है।
5. स्त्री के लिये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा समुचित धन का अभाव भी है।

6. कन्याओं के लिये भी शिक्षा के क्षेत्र अंधविश्वास एवं परंपरा इत्यादी समस्या है।
7. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव।
8. अपत्यय एवं अवरोधन की समस्या भी इसमें प्रमुख है।
9. अशिक्षित जन मानस भी इसकी एक समस्या है।
10. दोषपूर्ण प्रशासन भी नारी के लिये शिक्षा के क्षेत्र में बाधक है।
11. बालिकाओं के प्रति सकारत्मक दृष्टिकोण का अभाव भी इसकी एक प्रमुख समस्या है।

शिक्षा के क्षेत्र में नारी की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव:

1. जब तक समाज में का उन्मूलन नहीं किया जायगा, तब तक स्त्री-शिक्षा का विकास संभव नहीं है।
2. स्त्रियों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करने तथा पर्दाप्रया की निर्म्यकता सिद्ध करने के प्रयास किये जाये।
3. बाल-विवाह के विरद्ध व्यापक अभियान चालाया जाय तथा इसकी हानियों से जनसाधारण को अवगत कराया जाय।
4. अपत्यय एवं अवरोधन को समात्त किया जाना चाहीये।
5. भिन्न पाठयक्र की व्यवस्था की जानी चाहिय।
6. ग्रामीण दृष्टिकोण में भी परिवर्तन कर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
7. साथ-ही-साथ आर्थिक समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिये।
8. बलिका विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये।
9. शिक्षा की उदार निती को अपना जाना चाहिये।
10. शिक्षा प्रशासन में सुधर किया जाना चाहिये।
11. माध्यमिक शिक्षा आयोग।(1952)

12. विश्व विधालय शिक्षा आयोग।(1958)
13. दुर्गाबाई देशमुख समिति(1958)
14. हंसा मेहता समिति।
15. कोठारी कमीशन(1964-66)
16. भक्त वत्सलम कमेरी रिपोर्ट(1963)
17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

निष्कर्ष:

अतः इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है की शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा में समान की भुमिका महत्वपूर्ण है। यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी भावना रखकर अपना योगदान देगा तो शिक्षित महिलाओं में दृष्टि होगी।

सन्दर्भ-सुची:

1. गुप्ता एस पी तथा अतका गुप्ता (2008) भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएँ (इलाहाबाद)
2. प्रोग्राम आँफ एक्सन-नेश्नल पोलिसी आँन एजुकेशन (1986)
3. योजना, जनवरी 2016 अंक लोधी रोड नई दिल्ली।
4. पद्मा पण्डेन- गाँव पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कर्यादोषा नवंबर 2005
5. डाँ. पी. के. खरे- विखरते परिवारों में वेदना के स्वर राजभाषा भारती अप्रैल-जुन 2003
6. सक्सेना श्रतु, डाँ. शर्मा प्रभा राधा कमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा महिला उधमियों की परिपारिक भुमिका जुन 2014